

कार्यालय: ज़िला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी CHITTAURGARH, राजस्थान

क्रमांक: छिशील/वि/आरटीई/मान्यता/२०१८-१९/११२२ दिनांक १२-०९-२०१८

संधिव

प्रबंध समिति

NEERJA MODI SCHOOL

विवर :- राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था (मान्यता, रहावता अनुकान और सेवा वाले आदि) (संस्थान) नियम, 2011 के नियम ८-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्राप्त करा।

आपके अधेन पर इमांक 25983 और इस सम्बन्ध में संस्था विद्यालय के खाल किये गए परायातवारी पर व्यवस्था/ नियम के सन्दर्भ में, NEERJA MODI SCHOOL परा NEAR VISION COLLEGE CAMPUS UDAIPUR ROAD BOJUNDA CHITTORGARH याम पचायत बाहरी स्थानीय निकाय SAHANVA ब्लॉक CHITTORGARH को शिक्षण सभ 2018-19 से निम्नानुसार मान्यता मजूर करता है।

मान्यता का प्रकार	हास्तान्तरण
मान्यता का भाष्यम्	English
मान्यता के लिए ही कक्ष ७ एवं ८ के संयोजन की अनुमति	No

- मान्यता के लिए मजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा ८ से आगे मान्यता संबद्धता की कोई वाच्यता अतिरिक्त मर्ही होगी।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का भौद्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्ण विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आम - पड़ोस के 'कमज़ोर बर्ग' और 'अव्याप्त जमूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो के अनुसार में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संरक्षित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या सरकार को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
- विद्यालय आयु के सदून के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की आयु 15 के उपबंधो का पालन करेगा।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

- विद्यालय में प्रतिष्ठित किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से द्विष्कालित नहीं किया जाएगा;
- कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
- विसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकारित प्रमाण पर प्रदान किया जायेगा;

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी CHITTAURGARH , राजस्थान

- (V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियांगताप्रियोग आवश्यकता के विद्यार्थियों को समिलित किया जाए;
- (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं सहित मर्ती किये जाएँ;
- (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन बिनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और
- (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगे।

7. विद्यालय, समुचित पाठ्यकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर खाली विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट भान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कराए नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग ही होंगी।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 (1960 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी होमाहटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा घलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी छवितंत्र, छवितंत्रों के समूह या समाज या किसी अन्य छवितंत्रों के साथ के तिए नहीं छलाया जाता है।
13. किसी थार्ट्र एकाउंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक पति जिनकी शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को पति वर्ष में जाएगी।
14. इस कार्यालय के साथ पड़ व्यवहार को लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
15. विद्यालय, ऐसी रीपोर्ट और सूचना देगा जिनकी लिंटेशक, प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधेका की जाए और राज्य साकारात्मकानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की रूपी को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि क्यों हो, सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के वैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
18. अन्य रूपों जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।


**जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी**